रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2009/पौष 16, 1930
No. 7] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2009/PAUSA 16, 1930

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (45) और धारा 383क के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये 15 मार्च, 2009 से प्रवृत्त होंगे ।

2. कम्पनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 1988 के नियम 2 में,–

(i) उप-नियम (1) में और उप-नियम (4) के परंतुक में, "दो करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"पांच करोड़ रुपए" ;

(ii) उप-नियम (3) के दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(3क) कोई ऐसी कम्पनी जिसकी समादत्त शेयर पूंजी दो करोड़ रुपए या इससे अधिक है किन्तु पांच करोड़ रुपए से कम है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की सदस्यता की अर्हता है, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पूर्णकालिक सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु जहां किसी कम्पनी ने उप-नियम (3) या इस उप-नियम के अधीन ऐसे पूर्णकालिक कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है जिसके पास भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की सदस्यता की अर्हता है वहां ऐसी कंपनी से कम्पनी (अनुपालन प्रमाणपत्र) नियम, 2001 के नियम 3 के अधीन पूर्णकालिक व्यवसाय में किसी सचिव से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है ।"

[फा. सं. 1/6/2008-सीएल.-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1105(अ), तारीख 29 नवम्बर, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :-

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 372(अ)	13-4-1993
2.	सा.का.नि. 419(अ)	11-6-2002
3.	सा.का.नि. 804(अ)	14-10-2003

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2009

G.S.R. 11(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 read with clause (45) of Section 2 and Section 383A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualifications of Secretary) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualifications of Secretary) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the 15th day of March, 2009.

2. In the Companies (Appointment and Qualifications of Secreatry) Rules, 1988, in rule 2,—

(i) in sub-rule (1) and in the proviso to sub-rule (4), for the words "rupees two crores" the following words shall be substituted, namely :—

"five crore rupees";

(ii) in sub-rule (3), the second and third proviso shall be omitted;

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3A) A company having a paid up share capital of two crore rupees or more but less than five crore rupees may appoint any individual who possesses the qualification of membership of the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), as a whole-time secretary to perform the duties of a secretary under the Companies Act, 1956 :

Provided that where a company has appointed under sub-rule (3) or this sub-rule, a whole-time company secretary, possessing the qualification of membership of the Institute of Company Secretaries of India, such a company is not required to obtain a certificate from a secretary in whole-time practice under rule 3 of the Companies (Compliance Certificate) Rules, 2001."

[F. No. 1/6/2008-CL.-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published *vide* Notification G.S.R. 1105(E), dated 29th November, 1988 and subsequently amended *vide* the following notifications :—

Sl. No.	Notification number	Date of Notification
1.	G.S.R. 372(E)	13-4-1993
2.	G.S.R. 419(E)	11-6-2002
3.	G.S.R. 804(E)	14-10-2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.